परमाणु हथियारों के खिलाफ संधियाँ

Drishti IAS

परमाणु हथियारों के खिलाफ संधियाँ

भाग– I

परमाणु हथियार

- पृथ्वी पर सबसे खतरनाक हथियार; **एक ऐसा बम या मिसाइल जिसमें विस्फोट के लिये परमाणु ऊर्जा का उपयोग** किया जा सकता है।
- परमाणु हथियार या तो **परमाणु विखंडन (परमाणु बम)** या **परमाणु संलयन (हाइड्रोजन बम)** द्वारा ऊर्जा निर्मुक्त जारी करते हैं।
- केवल एक परमाणु हथियार भी इतना शक्तिशाली होता है कि वह **एक पूरे शहर को नष्ट करने**, संभावित रूप से **लाखों लोगों को मारने, प्राकृतिक पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ियों के जीवन को खतरे में डालने की क्षमता** रखता है।
- **द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान** वर्ष 1945 में अमेरिका द्वारा **पहली और आखिरी बार** इनका इस्तेमाल **हिरोशिमा और नागासाकी पर** किया था।

परमाणु हथियार अप्रसार संधि (NPT 1970)

- **उद्देश्य**
  - *परमाणु हथियारों और इसकी तकनीक के प्रसार को रोकना*
  - *परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना*
  - *परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाने*
- **सदस्य देश**
  - *सदस्यों की संख्या 191 जिसमें **पाँच परमाणु हथियार संपन्न देश** (NWS)– अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्राँस और चीन भी शामिल हैं*
- **परमाणु हथियार संपन्न देश**
  - *जिन्होंने **1 जनवरी, 1967 से पहले** परमाणु हथियार या परमाणु विस्फोटक उपकरण का **निर्माण और विस्फोट** किया*
- **महत्त्व**
  - *परमाणु संपन्न देशों द्वारा निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के लिये **एकमात्र बाध्यकारी संधि***
- **भारत और परमाणु अप्रसार संधि**
  - ***भारत** (पाकिस्तान, इजराइल, उत्तर कोरिया और दक्षिण सूडान के साथ) **सदस्य नहीं है***
  - *भारत एक **भेदभावपूर्ण निरस्त्रीकरण नीति** के रूप में इसका विरोध करता है*
  - *भारत की नीति– परमाणु हथियार संपन्न देशों के खिलाफ पहले उपयोग नहीं और गैर-परमाणु संपन्न देशों के खिलाफ कोई उपयोग नहीं (No First Use against NWS and no use against non–NWS)*
- **NPT समीक्षा सम्मेलन**
  - ***संधि के कार्यान्वयन की पंचवर्षीय समीक्षा** करता है*

DRISHTI IAS

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/treaties-against-nuclear-weapons-1